

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिकों के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 02 स्वाभाविक मृत्यु के मामले में ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 160000/- (एक लाख साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक ज्ञापांक 319 दिनांक 16.07.18, 450 दिनांक 20.09.2018, 357 दिनांक 3.8.18 द्वारा खाता संख्या 35592023422, आई.एफ.एस.सी SBIN0009226, 33031472699, आई.एफ.एस.सी SBIN0003016 एवं 01190010869 आई.एफ.एस.सी SBIN0002988 में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रित/लाभार्थी के खाता में त्रुटिपूर्ण बैंक खाता विवरणी रहने के कारण के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 319 दिनांक 16.07.18 के क्रमांक 03, 450 दिनांक 20.09.2018 के क्रमांक 11 एवं 357 दिनांक 3.8.18 के क्रमांक 01 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 1234 दिनांक 15.12.2018, 1236 दिनांक 15.12.18 एवं 10 दिनांक 04.01.2019 के द्वारा प्राप्त बैंक प्रतिवेदन के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि का विमुक्ति का आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलापदाधिकारी /श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० गोपीचंद महतो, 60, श्री भुआलि महतो, 40 पिनो वर्ग	श्रीमती पनवा देवी(पत्नी)	351/26.04.18	ग्रा०+पो०-सरेया, था०-गोबिंदगंज, प्र०-अरराज, पूर्वी चम्पारण	495410800 0297	केनरा बैंक, अरराज, CNRB0004954	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि में मजदूरी का कार्य
2	स्व० राजेश मुखिया, 32, श्री ज्योति मुखिया, 40 पिनो वर्ग	श्रीमती सिमरिख देवी(पत्नी)	750/14.8.18	ग्रा०-हरकैना, पो०-सुरहों, था०+प्र०-मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	196221220 03062	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मधुवन छावनी, चौक, ORBC0101962	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, मनरेगा में मजदूरी का कार्य
3	स्व० भगवान साह, श्री रामवरन साह, 44, 40 पिनो वर्ग	श्रीमती रूपा देवी(पत्नी)	391/11.05.18	ग्रा०+पो०-मझार, पो०-सुन्दरपट्टी, था०+प्र०-पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण,	115803687 97	भारतीय स्टेट बैंक, पकड़ीदयाल, SBIN0002988	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रजमिस्त्री का हेल्पकर का कार्य

कुल :- ₹ 160000/-

(एक लाख साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-14/2018 के पृष्ठ-33/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

5. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक ज्ञापांक 319 दिनांक 16.07.18 के क्रमांक 03, 450 दिनांक 20.09.2018 के क्रमांक 11 एवं 357 दिनांक 3.8.18 के क्रमांक 01 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(अनुराधा कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-14/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अनुराधा कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-14/2018-199

पटना, दिनांक :- 26-06-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 160000/- (एक लाख साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


21/6/19
(अनुराधा कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


26/06/19
(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी


26/06/19
(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।